

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

187 पीपल्दा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री चेतन पटेल कोलाना

गांव कोलाना, तहसील पीपल्दा, पोस्ट जलोदा खातियान, जिला कोटा, राज.

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान: कोटा

तारीख: 03.12.2023


हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी
(**मिता वसीटा**)
रिटर्निंग अधिकारी
वि०स० निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा-187
जिला कोटा

FORM 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 187 PIPALDA Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951,read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961 .

I declare that –

SHRI CHETAN PATEL KOLANA

VILLAGE KOLANA TEHSIL PIPALDA POST JALODA KHATIYAN, DIST
KOTA, RAJ

Indian National Congress

(name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill
the

seat in that House from the above constituency.

Place: Kota

Dated: 03.12.2023

Signature

RETURNING OFFICER

(मोता वसोटी)
रिटर्निंग अधिकारी
विपरीत निर्वाचन क्षेत्र पीपल्स
जिला कोटा